

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ, जिला भीलवाडा

बईजलास - १०८५०२

तारीख दायर १९/५/१७

प्रकरण संख्या १५४/२०१७

उनवान

शान्ति देवी देवल

बनाम, देवीलाल मणिकर
८ शक्तिबिठोडा, घणोनामवृत्ति, सरपंच,
उलाडु ९७ नारायण वलाइति सरपंच

उपस्थित

प्रतिवादी

1.

(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

:- आदेश :-

दिनांक 2016

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/सयुक्त खाते की भूमि ग्राम सरपंच पटवार हल्का सरपंच तहसील माण्डलगढ में खाता सं. 51 के आ.नं. 645 व 1095/708, 1096/708 बि.मं. 3 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फसाव करते रहे हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता की एक पत्र सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आशाधिकार खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथ पत्र संलग्न है। पत्रावली से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0 स्वीकार किया ग्राम सरपंच पटवार हल्का सरपंच तहसील माण्डलगढ में खाता सं. 51 के आ.नं. 645 व 1095/708, 1096/708 बि.मं. 3 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी भूमि की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्थरगढी शुल्क 100 रूपये जरिये चालान राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे। प्रार्थना पत्र निर्णत होकर नम्बर से कम हो।